

खंड IV

परिदृश्य

प्रेम, एक निवासी भारतीय जिसकी आयु 48 वर्ष है, खुदरा व्यापार का एकमात्र स्वामित्व वाला व्यवसाय चला रहा है, जिसका वार्षिक कारोबार चालू वर्ष सहित पिछले कुछ वर्षों में लगभग 4.50 करोड़ रुपये है। प्रेम की पत्नी राम्या, एक निवासी भारतीय आयु 45 वर्ष, एक आर्ट गैलरी में 2,00,000 रुपये प्रति माह के वेतन पर कार्यरत हैं। उनका बेटा सिद्धांत, यूएसए में एक आइवी लीग विश्वविद्यालय में डेटा विज्ञान और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में एमएस की पढ़ाई कर रहा है। प्रेम के पिता एक सेवानिवृत्त प्रोफेसर हैं जिनकी आयु 78 वर्ष है और उनकी मां एक गृहिणी हैं जिनकी आयु 75 वर्ष है। वे दोनों ही निवासी भारतीय हैं। प्रेम के भाई राम, एक निवासी भारतीय आयु 46 वर्ष और एक इंटीरियर डेकोरेटर, राम एंड कंपनी में भागीदार हैं। राम की पत्नी, हरिनी, एक वाणिज्य स्नातक हैं जो राम की फर्म में जूनियर अकाउंटेंट के रूप में कार्यरत हैं प्रेम डिफॉल्ट कर व्यवस्था से बाहर निकलता है और अधिनियम के नियमित प्रावधानों के अनुसार वैकल्पिक कर व्यवस्था के तहत कर का भुगतान करता है। प्रेम और रम्या धारा 139(1) के तहत नियत तिथि पर या उससे पहले नियमित रूप से अपना आयकर रिटर्न दाखिल करते रहे हैं।

परिदृश्य को नीचे जारी रखा गया है और परिवार के सदस्यों द्वारा किए गए विभिन्न प्रकार के लेन-देन को दर्शाने वाले घटकों में विभाजित किया गया है, और प्रत्येक घटक के संबंध में "विचारणीय बिंदु" उठाए गए हैं ताकि आप अपने विचार व्यक्त करें और अध्यायों को पढ़ने और विभिन्न लेनदेन के TDS/TCS और अन्य कर परिणामों को समझने और उनका विश्लेषण करने के बाद अपनी प्रतिक्रिया दें।

नीचे दी गई तालिका के स्तंभ (1) में वर्णित परिदृश्य और उसके प्रत्येक घटक को और स्तंभ (2) की संगत पंक्ति में दिए गए "विचारणीय बिंदुओं" को पढ़ें। इसके बाद, संबंधित अध्याय को पढ़ें और तालिका के स्तंभ (5) में उस पर अपने उत्तर दें। धारा संख्या का संदर्भ स्तंभ (4) में दिया गया है ताकि आप कानून के संबंधित प्रावधान को पढ़ने और समझने के बाद अपनी प्रतिक्रिया दे सकें।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
परिदृश्य घटक	विचार करने के लिए अंक	प्रासंगिक अध्याय	कानून का प्रासंगिक प्रावधान	अध्याय पढ़ने के बाद अपनी प्रतिक्रिया लिखें
(1) प्रेम को अपने व्यवसाय के सिलसिले में एक ठेकेदार रवि को जून 2025 में ₹25,000, जुलाई 2025 में ₹24,000, अगस्त 2025 में ₹28,000 और सितंबर 2025 में ₹26,000 का भुगतान करना है। पिछले वर्षों में किसी एक ठेकेदार को उसके द्वारा किए गए कुल अनुबंध भुगतान ₹50,000 से ₹60,000 के बीच थे और	प्रेम हर ठेकेदार को किए गए अनुबंध भुगतान को अलग-अलग कर रहा है ताकि उस पर कर कटौती से बचा जा सके। ऐसा करके, वह पिछले वर्षों में अनुबंध भुगतान पर ब्याज या जुर्माना दिए बिना कर कटौती से बच पाया था। उसका मानना है कि इस वर्ष भी, उसे रवि को किए गए अनुबंध भुगतान पर कर कटौती की आवश्यकता नहीं है क्योंकि प्रत्येक भुगतान व्यक्तिगत सीमा से अधिक नहीं है।	7	194C	
	(i) क्या वह सही है? अगर नहीं, तो क्यों?			नहीं, वह सही नहीं है। प्रेम को रवि को किए गए अनुबंध भुगतानों पर कर

	अलग-अलग किश्तें ₹15,000 से ₹25,000 के बीच थीं।				<p>कटौती करनी होगी, क्योंकि उसे वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान भुगतान की गई कुल राशि ₹1,00,000 से अधिक है। चूँकि वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए प्रेम का टर्नओवर ₹1 करोड़ से अधिक है, इसलिए वह ऐसे अनुबंध भुगतानों के संबंध में धारा 194C के अंतर्गत स्रोत पर कर कटौती के लिए उत्तरदायी है।</p>
	(ii) यदि कर कटौती करनी है तो कितनी और किस समय?				<p>सितंबर में देय ₹26,000 के अंतिम भुगतान से ₹1,03,000 की पूरी राशि पर 1% की दर से कर काटा जाना है (चूँकि रवि एक व्यक्ति है)। कर की कटौती रवि के खाते में इस राशि के जमा होने के समय या उसके भुगतान के समय, जो भी पहले हो, की जानी है। धारा 194C के तहत TDS = ₹1,03,000 का 1% = ₹1,030</p>

(2)	<p>प्रेम के अपने व्यावसायिक परिसर का बड़े पैमाने पर नवीनीकरण चल रहा है। इसलिए, उन्होंने मई 2025 से अपना व्यवसाय चलाने के लिए एक परिसर किराए पर ले लिया है, जिसके लिए उन्हें हरि को ₹40,000 प्रति माह किराया देना होगा।</p>	<p>प्रेम जानना चाहता है कि क्या वह हरि को दिए गए किराये पर स्रोत पर कर कटौती करने का अधिकारी है। यदि हाँ, तो कितना?</p>	7	194-I	<p>नहीं, प्रेम को किराये की आय पर धारा 194-I के तहत कर कटौती करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि हरि को किराये का भुगतान एक महीने या महीने के किसी हिस्से के लिए ₹ 50,000 से अधिक नहीं है।</p>
<p>रम्या सोचती है कि उसे नीचे (3), (4), (5) और (6) में दिए गए लेन-देन पर कर नहीं काटना है, क्योंकि वह एक वेतनभोगी कर्मचारी है और कोई व्यवसाय या पेशा नहीं चला रही है। क्या वह सही है?</p>					
(3)	<p>रम्या को जनवरी 2026 में अपने आवासीय घर के पुनर्निर्माण के लिए एक ठेकेदार को 51 लाख रुपये का भुगतान करना है।</p>	<p>क्या रम्या को स्रोत पर कर कटौती का अधिकार है और यदि हाँ, तो कितना?</p>	7	194M	<p>हाँ, रम्या को धारा 194M के तहत 2% की दर से कर काटना होगा, क्योंकि देय ₹51 लाख की राशि ₹50 लाख की सीमा से अधिक है। चूँकि रम्या एक वेतनभोगी व्यक्ति हैं, इसलिए धारा 194C के प्रावधान उनके मामले में लागू नहीं होते। धारा 194M के तहत TDS = ₹1,02,000, जो 2% x ₹51,00,000 है।</p>

(4)	रम्या को अप्रैल 2025 में कोयंबटूर में मीना से ₹40 लाख की ज़मीन खरीदने के लिए ब्रोकरेज के तौर पर ₹2 लाख देने हैं। उस समय ज़मीन का स्टाम्प शुल्क मूल्य ₹42 लाख था।	(i)	क्या वह ब्रोकरेज के भुगतान पर स्रोत पर कर कटौती के लिए उत्तरदायी है? यदि हाँ, तो किस दर पर?	7	194M	चूँकि रम्या एक वेतनभोगी व्यक्ति हैं, इसलिए धारा 194H के अंतर्गत TDS प्रावधान लागू नहीं होते। इस मामले में धारा 194M के अंतर्गत TDS प्रावधान भी लागू नहीं होते, क्योंकि ₹2 लाख की ब्रोकरेज राशि ₹50 लाख की सीमा से अधिक नहीं है।
		(ii)	क्या वह मीना को देय राशि पर स्रोत पर कर कटौती करने के लिए उत्तरदायी है?		194-IA	राम्या को धारा 194- IA के तहत स्रोत पर कर कटौती करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि गृह संपत्ति के हस्तांतरण के लिए प्रतिफल और संपत्ति का स्टाम्प शुल्क मूल्य दोनों ₹ 50 लाख से कम हैं।
		(iii)	क्या उसे खरीद लेनदेन से संबंधित दस्तावेजों में पैन का उल्लेख करना आवश्यक है?	8	139A	हाँ, यदि लेन-देन का मूल्य या स्टाम्प ड्यूटी का मूल्य ₹10 लाख से अधिक है, तो पैन नंबर बताना आवश्यक है। इस स्थिति में, लेन-देन का मूल्य और स्टाम्प ड्यूटी का मूल्य दोनों ₹10 लाख से अधिक हैं। इसलिए, रम्या को खरीद लेनदेन से संबंधित दस्तावेजों में पैन नंबर बताना होगा।

(5)	रम्या ने दिसंबर 2025 में कोयम्बटूर स्थित भूमि ₹ 52 लाख में अपनी मित्र शीला को हस्तांतरित कर दी, जबकि स्टाम्प ड्यूटी का मूल्य ₹ 55 लाख था।	(i)	क्या शीला द्वारा रम्या को देय राशि पर स्रोत पर कर कटौती योग्य है? यदि हाँ, तो किस दर पर?	7	194-IA	हाँ, शीला द्वारा स्रोत पर कर कटौती योग्य है। इस मामले में, बिक्री मूल्य और स्टाम्प शुल्क दोनों ₹ 50 लाख से अधिक हैं। इसलिए, शीला को धारा 194-IA के तहत स्रोत पर कर कटौती करनी होगी। काटा जाने वाला कर ₹ 55 लाख का 1% होगा (₹ 55 लाख या ₹ 52 लाख में से जो भी अधिक हो)।
		(ii)	क्या रम्या को बिक्री लेनदेन से संबंधित दस्तावेजों में पैन का उल्लेख करना आवश्यक है?	8	139A	हाँ, यदि लेन-देन का मूल्य या स्टाम्प शुल्क ₹10 लाख से अधिक है, तो पैन नंबर बताना आवश्यक है। इस स्थिति में, लेन-देन का मूल्य और स्टाम्प शुल्क दोनों ₹10 लाख से अधिक हैं। इसलिए, रम्या को बिक्री लेनदेन से संबंधित दस्तावेजों में पैन नंबर बताना होगा।
(6)	रम्या को 31 दिसंबर 2025 को एक जीवन बीमा पॉलिसी से ₹10 लाख मिलने वाले हैं,		क्या राम्या द्वारा प्राप्त जीवन बीमा पॉलिसी की आय पर स्रोत पर कर कटौती योग्य है? यदि हाँ, तो कितनी राशि?	7	194DA	चूँकि 31.3.2012 के बाद ली गई पॉलिसी के संबंध में वार्षिक प्रीमियम बीमित राशि के 10% से अधिक है, इसलिए 31.12.2025 को देय ₹10 लाख की परिपक्वता राशि, राम्या के

	जिसकी बीमित राशि ₹8 लाख और वार्षिक प्रीमियम ₹85,000 है। यह पॉलिसी 1 जनवरी 2017 को ली गई थी।				हाथों द्वारा 10(10D) के तहत छूट प्राप्त नहीं है। धारा 194DA के अंतर्गत इसमें सम्मिलित आय की राशि पर 2% की दर से कर काटा जाना आवश्यक है, अर्थात् ₹3,20,000 (₹10,00,000, परिपक्वता राशि - ₹6,80,000, भुगतान किए गए बीमा प्रीमियम की कुल राशि)। धारा 194DA के अंतर्गत टीडीएस = ₹3,20,000 का 2% = ₹6,400
(7)	प्रेम के पास एक मकान है जिसे उसने श्याम को, जो एक बहुराष्ट्रीय कंपनी में कार्यरत है, पिछले वर्ष 2025-26 के लिए ₹ 55,000 प्रति माह किराए पर दे दिया है।	क्या श्याम, प्रेम को देय किराए पर स्रोत पर कर कटौती करने के लिए उत्तरदायी है? यदि हाँ, तो कितना और किस समय?	7	194-IB	चूंकि श्याम वित्तीय वर्ष 2025-26 में 50,000 रुपये प्रति माह से अधिक किराया देता है, इसलिए वह पिछले वर्ष के अंतिम महीने में 2% की दर से स्रोत पर कर कटौती के लिए उत्तरदायी है। तदनुसार, मार्च, 2026 के लिए देय किराए से ₹ 13,200 (₹ 55,000 x 2% x 12) की कटौती की जानी है।

(8)	राम ABC लिमिटेड को ₹ 60,000 रुपये में परामर्श सेवाएं प्रदान करता है।	क्या ABC लिमिटेड राम को देय राशि पर कर काटने के लिए उत्तरदायी है? यदि हाँ, तो किस दर पर?	7	194J	ABC लिमिटेड, परामर्श सेवाओं के लिए राम को देय राशि पर धारा 194जे के तहत 10% की दर से स्रोत पर कर कटौती करने के लिए उत्तरदायी है, क्योंकि यह राशि 50,000 रुपये की सीमा से अधिक है।
(9)	प्रेम ने एसबीआई में अपने चालू खाते से ₹1.20 करोड़ की नकद निकासी की। पिछले साल, उन्होंने ₹95 लाख और उससे पिछले साल ₹80 लाख की नकद निकासी की थी।	प्रेम को लगता है कि चूँकि वह नियमित रूप से समय पर रिटर्न दाखिल कर रहा है, इसलिए व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए उसके द्वारा की गई नकद निकासी पर पहले की तरह कोई TDS नहीं लगेगा। क्या वह सही है?	7	194N	नहीं, वह सही नहीं है। चूँकि प्रेम ने पिछले वर्ष 2025-26 के दौरान SBI के अपने चालू खाते से ₹1 करोड़ से अधिक की नकदी निकाली है, इसलिए ₹20 लाख पर 2% की दर से कर, जो ₹1 करोड़ से अधिक की राशि है, एसबीआई द्वारा कटौती योग्य होगा।
(10)	प्रेम के पिता को हर महीने ₹80,000 की पेंशन मिलती है जो बैंक ऑफ इंडिया, तांबरम शाखा में जमा होती है। उनके पिता की आय का एकमात्र अन्य स्रोत उक्त बैंक के बचत खाते से मिलने वाला ₹14,000 का ब्याज है।	प्रेम के पिता जानना चाहते हैं कि क्या उन्हें आयकर रिटर्न दाखिल करने से छूट मिली है। क्या वह छूट के पात्र हैं?	7	194P	प्रेम के पिता 78 वर्ष के हैं और उनकी पेंशन आय बैंक ऑफ इंडिया, तांबरम शाखा में जमा होती है। उनकी एकमात्र अन्य आय उक्त बैंक के बचत खाते पर मिलने वाला ब्याज है। इसलिए, यदि वे निर्दिष्ट बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, को निर्धारित प्रपत्र में एक घोषणा प्रस्तुत करते हैं, तो वे एक निर्दिष्ट वरिष्ठ नागरिक माने जाएँगे।

					बैंक ऑफ इंडिया को प्रेम के पिता की कुल आय की गणना करनी होगी और धारा 194P के तहत आयकर कटौती करनी होगी। ऐसे मामले में, प्रेम के पिता को धारा 139 के तहत आयकर रिटर्न दाखिल करने की आवश्यकता नहीं होगी।
(11)	प्रेम ने परिवार के साथ सिंगापुर की यात्रा के लिए थॉमस कुक ट्रेवल्स से 6 लाख रुपये का विदेशी टूर पैकेज खरीदा।	प्रेम का मानना है कि चूँकि विदेशी टूर पैकेज का मूल्य ₹7 लाख से कम है, इसलिए कोई TCS देनदारी नहीं होगी। क्या वह सही है?	7	206C(1G)	नहीं, वह सही नहीं है। थॉमस कुक ट्रेवल्स को प्रेम से ₹6 लाख पर 5% की दर से स्रोत पर कर वसूलना है।
(12)	प्रेम ने RBI के LRS के तहत सिद्धांत की ट्यूशन फीस के लिए ₹4 लाख भेजे। वह इसे SBI, जो एक अधिकृत डीलर है, के माध्यम से भेजता है।	प्रेम को यकीन नहीं है कि इस धन-प्रेषण पर TCS लगेगा या नहीं। क्या SBI को ऐसे धन-प्रेषण पर स्रोत पर कर वसूलना ज़रूरी है? अगर हाँ, तो कितना?	7	206C(1G)	नहीं, SBI को प्रेम द्वारा अपने बेटे की ट्यूशन फीस के लिए 4 लाख रुपये के प्रेषण पर स्रोत पर कर एकत्र करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि यह 10 लाख रुपये की सीमा से कम है।
(13)	राम ने भारतीय रिजर्व बैंक की उदारीकरण योजना (LRS) के तहत मेगा की ट्यूशन फीस के लिए इंडियन बैंक से लिए गए ऋण में से ₹8	राम जानना चाहता है कि क्या इस लेन-देन पर टीसीएस लगता है और यदि हाँ, तो क्या वह किसी रियायती दर का हकदार है, क्योंकि यह धन-प्रेषण शिक्षा के उद्देश्य से है।	7	206C(1G)	नहीं, इंडियन बैंक को मेगा की ट्यूशन फीस के लिए राम द्वारा ₹ 8 लाख के प्रेषण पर स्रोत पर कर एकत्र करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यह धारा 80 E में परिभाषित किसी भी वित्तीय संस्थान से लिए गए ऋण में से है।

	लाख भेजे। वह यह राशि इंडियन बैंक के माध्यम से ही भेजता है, जो एक अधिकृत डीलर है।	क्या भारतीय बैंक को ऐसे धन-प्रेषण पर स्रोत पर कर वसूलना आवश्यक है? यदि हाँ, तो कितना?			
(14)	<p>प्रेम ने इस वर्ष MNO लिमिटेड से कुल ₹60 लाख का सामान खरीदा है, जिसका कारोबार पिछले कुछ वर्षों में लगभग ₹12 करोड़ रहा है।</p> <p>पिछले दो वर्षों में, उसने MNO लिमिटेड से कुल ₹35 लाख का सामान खरीदा है। अन्य विक्रेताओं से उसने ₹10 लाख से ₹15 लाख तक का सामान खरीदा है।</p>	प्रेम का मानना है कि चूँकि पिछले साल और उससे पहले की गई खरीदारी पर कोई टीडीएस देनदारी नहीं थी, इसलिए इस साल भी कोई TDS देनदारी नहीं होगी। क्या वह सही है? क्या प्रेम को स्रोत पर कर कटौती करनी होगी? यदि हाँ, तो कितनी?	7	194Q	नहीं, प्रेम को धारा 194Q के तहत स्रोत पर कर कटौती करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए उनका टर्नओवर 10 करोड़ रुपये से कम था।

(15)	प्रेम ने यूनिप्रो नामक डीलर से ₹ 15 लाख में एक होंडा सिटी कार खरीदी।	प्रेम को यह निश्चित नहीं है कि इस खरीद से कोई TDS/TCS प्रभाव पड़ेगा या नहीं।			
		(i) क्या प्रेम को यूनिप्रो को किए गए भुगतान पर स्रोत पर कर कटौती करना आवश्यक है?	7	194Q	नहीं, प्रेम को डीलर से कार खरीदने पर स्रोत पर कर कटौती करने की आवश्यकता नहीं है।
		(ii) क्या यूनिप्रो को प्रेम से ऐसी रसीद पर स्रोत पर कर वसूलना ज़रूरी है? यदि हाँ, तो कितना?		206C(1F)	हां, यूनिप्रो को प्राप्ति के समय धारा 206C(1F) के अंतर्गत 1% की दर से स्रोत पर कर एकत्रित करना होगा, क्योंकि बिक्री मूल्य 10 लाख रुपये से अधिक है। धारा 206C(1F) के तहत TCS = ₹ 15 लाख का 1% = ₹15,000
		(iii) क्या प्रेम को पैन बताना आवश्यक है?	8	139A	हाँ
(16)	प्रेम की माँ को अपनी बेटी के पास रहने के लिए अमेरिका जाने में ₹2.20 लाख खर्च करने पड़ते हैं। ₹3 लाख की सावधि जमा राशि पर ब्याज के अलावा उनकी कोई अन्य आय नहीं है।	प्रेम की माँ सोचती हैं कि उन्हें आयकर रिटर्न दाखिल करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि उनकी आय मूल छूट सीमा से ज़्यादा नहीं है। क्या उनका यह कहना सही है?	8	139(1)	नहीं, प्रेम की माँ को धारा 139(1) के तहत नियत तारीख को या उससे पहले अपनी आयकर रिटर्न दाखिल करनी होगी, भले ही उनकी कुल आय मूल छूट सीमा से कम हो, क्योंकि उन्होंने विदेश यात्रा पर 2 लाख रुपये से अधिक का व्यय किया है।

(17)	राम ने अपने परिवार के साथ एक सप्ताह तक रहने के लिए मनाली के एक होटल को अकाउंट पेयी चेक के माध्यम से ₹ 60,000 का भुगतान किया।	क्या राम को दस्तावेजों में पैन का उल्लेख करना आवश्यक है?	8	139A	नहीं, चूंकि होटल को भुगतान अकाउंट पेयी चेक द्वारा किया गया था, इसलिए उसे अपना पैन बताने की आवश्यकता नहीं है, भले ही भुगतान 50,000 रुपये से अधिक हो।
(18)	नवंबर 2026 में राम को पता चला कि उन्होंने निर्धारण वर्ष 2026-27 के लिए अपनी आयकर रिटर्न दाखिल नहीं की है।	राम अभी (यानी नवंबर 2026 में) अपना रिटर्न दाखिल करना चाहता है। क्या वह ऐसा कर सकता है?	8	139(4)	हां, राम 31.12.2026 से पहले या अपने मूल्यांकन के पूरा होने से पहले, जो भी पहले हो, निर्धारण वर्ष 2026-27 के लिए विलंबित आयकर रिटर्न दाखिल कर सकता है।
(19)	प्रेम ने जुलाई, 2026 में निर्धारण वर्ष 2026-27 के लिए अपनी आयकर रिटर्न दाखिल की है। नवंबर, 2026 में, उन्हें पता चलता है कि उन्होंने PPF में जमा के संबंध में धारा 80 C के तहत कटौती का दावा नहीं किया है।	(i) प्रेम अपना रिटर्न संशोधित करना चाहता है और अभी (यानी नवंबर 2026 में) कटौती का दावा करना चाहता है। क्या वह ऐसा कर सकता है? (ii) यदि हां, तो उसे किस तारीख तक संशोधित रिटर्न दाखिल करना चाहिए?	8	139(5)	हाँ, प्रेम अभी (अर्थात् नवंबर 2026 में) निर्धारण वर्ष 2026-27 के लिए अपनी आयकर विवरणी संशोधित कर सकते हैं। वह 31.12.2026 से पहले या कर निर्धारण पूरा होने से पहले, जो भी पहले हो, किसी भी समय निर्धारण वर्ष 2026-27 के लिए संशोधित रिटर्न दाखिल कर सकते हैं।
(20)	हरिनी ने 3 अक्टूबर को ICICI बैंक में ₹ 80,000 की सावधि जमा कराई।	क्या हरिनी को सावधि जमा से संबंधित दस्तावेजों में अपना पैन बताना आवश्यक है?	8	139A	हां, चूंकि सावधि जमा की राशि 50,000 रुपये से अधिक है।



क्रॉसवर्ड पहेली

1 U
2 P A N
D
A
T
E
3 P
5 D I V I D E N D
6 A
7 R O Y A L T Y
8 C
9 R Q
10 B H
11 S E C U R I T I E S
12 C
13 L I Q U I D A T O R
14 S
15 P A Y M E N T
16 F O U R
17 A A D H A A R
18 C O N T R A C T O R
19 N
20 E P F

U
P A N
D
A
T
E
P
D I V I D E N D
A
R Q
S E C U R I T I E S
C
B H
L I Q U I D A T O R
S
P A Y M E N T
F O U R
A A D H A A R
C O N T R A C T O R
N
E P F

R O Y A L T Y
C
H
E I
L N
A E
D
G
D